न्यायालयः अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अरेराज, पूर्वी चम्पारण।

जी आर सं0 3021/2005
सीआइएस सं0 105.15
दिनांक 05.03.2024

आदेश

दिनांक 05.03.2024 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामले में अभियोजन की तरफ से दस्तावेजी सूची के साथ कुछ दस्तावेज प्रदर्श अंकित करने हेतु दिए गए हैं । अभियोजन का कथन है कि कुल 6 दस्तावेज की प्रमाणिक प्रति जो कि न्यायालय में केस नं सी आइ एस 151/15 की वाद की है जिसके अंतर्गत प्रथम सूचना प्रतिवेदन एवं आरोप पत्र अभिप्रमाणित प्रति, आरोप गठन की अभिप्रमाणित प्रति, आदेश फलक के अंतिम पृष्ठ की अभिप्रमाणित प्रति एवं अभियोजन साक्षी 1 से 8 तक की साक्षियों की अभिप्रमाणित प्रति न्यायालय में प्रस्तुत है अतः उसे प्रदर्श करने की इजाजत देने की कृपा करे।

मामले में अभियुक्त के द्वारा वादी के आवेदन का विरोध किया गया और कहा गया कि अभियोजन ने किस धारा के अंतर्गत ऐसा आवेदन दिया है इस संबंध में आवेदन में उल्लेख नहीं है मामले में अभियोजन का आवेदन एक बार पहले खारिज किया जा चुका है अतः पुनः उस पर विचार नहीं किया जा सकता । अतः न्यायालय आवदेन खारिज करने की कृपा करें।

उपस्थित पक्षकारों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि मामला 19 वर्ष पुराना है तथा मामले में समस्त दस्तावेज के संबंध में अभियोजन का आवेदन दिनांक 08.12.23 को एक बार अस्वीकृत किया जा चुका है मामले में धारा 294 दंप्र0सं0 की समस्त प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गयी है अतः दुबारा उसी तरह के आवेदन पर विचार करना संभव नहीं है अतः अभियोजन का आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है। वास्ते वाद दिनांक .....अग्रिम कार्रवाई।

अ0मु0न्या0दं0
अरेराज, पूर्वी चम्पारण।